भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3792
उत्तर देने की तारीख 05 अप्रैल, 2023
बुधवार, 15 चैत्र, 1945 (शक)

कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

3792 श्री नीरज डांगीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता के संबंध में राज्यों की रैंकिंग क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश के कुशल कामगारों को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना पर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्यों की रैंकिंग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में युवाओं को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रदान करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशिलता नीति, 2015 के फोकस क्षेत्रों में से एक समावेशी कौशल विकास है, जिसका उद्देश्य बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। साथ ही, सामान्य मानदंडों के तहत महिला उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:
(i) जहां महिला प्रशिक्षुओं को अपने आवास से निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने में और आवास तथा भोजन व्यवस्था का लाभ लेने के लिए 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती हो, वहाँ देश के ऐसे स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ii) नियोजन उपरांत सहायता प्रत्यक्ष रूप से महिला उम्मीदवारों को 1500 रुपए प्रति माह (अधिवास जिले के भीतर नियोजन हेतु दो माह तक और अधिवास जिले के बाहर नियोजन हेतु 3 माह तक) की दर से प्रदान की जाती है।

पीएमकेवीवाई के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके लिए परिवहन लागत तथा आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जेएसएस के अंतर्गत

प्राथमिकता समूह में महिलाएं शामिल हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा दीर्घावधि कौशल के तहत, विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपयुक्त व्यावसायिक ट्रेडों का पता लगाया जाता है और उनके कार्यान्वयन की योजना बनाई जाती है। साथ ही, कौशल विकास इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए खोले गए हैं। वर्तमान में, देश में 311 महिला आईटीआई हैं। 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में से 19 विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। सामान्य आईटीआई और एनएसटीआई में भी 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

एमएसडीई के तत्वावधान में, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है। यह संस्थान उन महिलाओं के लिए उद्यमशीलता उन्मुखीकरण कार्यक्रम, उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूईडीपी) आयोजित करता है, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं या अभिनव नियोजन शुरू करना चाहती हैं। सार्वजनिक खरीद फ़रोख्त प्रक्रिया के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले बिजनेस हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर फोकस किया गया है। निस्बड ने ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में उद्यम/सामूहिक उद्यम स्थापित करने हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्यमशीलता मूल्यों, दृष्टिकोण और प्रेरणा को विकसित करना है।

(ग) देश के युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार की सुविधा के दृष्टिकोण के साथ, सकारात्मक जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और वैश्विक कुशल कार्यबल की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के अवसर का अभिग्रहण करने के लिए, मंत्रालय ने 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल (एसआईआई)' की परिकल्पना की है। एसआईआई के तहत, दो 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें से एक वाराणसी में और दूसरा कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। एसआईआई का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क गुणवत्ता कौशल इकोसिस्टम में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वैश्विक करियर गतिशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। बजट-वर्ष 2023-24 में 30 एसआईआई केंद्र खोलने की घोषणा की गई है।

साथ ही, एमएसडीई सूचना के आदान-प्रदान, मानक निर्धारण, कौशल सामंजस्य, योग्यता की मान्यता आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठा रहा है। इन संबंधों का उद्देश्य भारत से द्विपक्षीय भागीदारों के लिए कुशल कार्यबल की गतिशीलता को सुसाध्य बनाना है। एमएसडीई के तत्वावधान में एनएसडीसी ने भारतीय कुशल कार्यबल की विदेशी गतिशीलता, प्रशिक्षकों का क्षमता-निर्माण, नियोक्ता संबद्धता, आदि की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की बिजनेस संस्थाओं के साथ बिजनेस टू बिजनेस करारों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

****